संख्याः नि0 1667/3–5 (भू–क्षरण की रोकथाम)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in/
फोन/फैक्सः–0135–2741607, 2742641
ई–मेलः–ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

देहरादूनः दिनांकः 07 दिसम्बर,2021

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य सैक्टर योजना "2406–01–101–12–00–भू–क्षरण की रोकथाम" योजनान्तर्गत शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– शासनादेश संख्या 1054/X–2–2021–12(37)2017 दिनांक 03 जून,2021(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,

उक्त सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. **S21060270001** दिनांक 03.06.2021 से वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य सैक्टर योजना "2406–01–101–12–00–भू–क्षरण की रोकथाम" योजनान्तर्गत शासन से अवमुक्त धनराशि ₹1,50,00,000/–(₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹1,46,73,000/–(₹एक करोड़ छियालीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में जारी किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि ₹3,27,000/–(₹ तीन लाख सत्ताईस हजार मात्र) का **IFMS** पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी–प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को ऑन लाइन बजट निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ आवंटित करते हुए प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है:–

1– सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2–मानक मद–52 लघु निर्माण में आवंटित धनराशि से प्रस्तावित निर्माण कार्यो में से किसी भी कार्य की लागत ₹20.00लाख से अधिक न हो तथा बृहद निर्माण की लागत 20.00 लाख से कम करने के लिए उसके टुकड़े न किये जाए। कार्य करने से पूर्व वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन के अनुसार सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3–छोटे कार्यो(पेटी वर्क्स),लघु कार्यो(माइनर वर्क्स) की लागत सीमा में वृद्धि कये जाने के फलस्वरूप मानक मद 52–लघु निर्माण कार्य के अर्न्तगत कराये जाने वाले कार्यो हेतु उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–323//XXVII(7)/19-50(7)/2019 दिनांक 20.09.2019 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4–उपरोक्त कार्यो की शासनादेश संख्या–423/09(150)–2019XXVII(1)/2021 दिनांक 31.03.2021 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

5–अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित भुगतान ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध है,यदि योजना से इतर कार्यो हेतु भुगतान कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

6–कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

7–अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल),उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8–निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

9–आगणन के प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

10–बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

–2/–

11–आवंटित / जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4 में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

12–संदर्भित शासनादेश एवं उक्त बिन्दु संख्या–1 से 11 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में भू–क्षरण की रोकथाम हेतु सक्षम स्तर / अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड से निर्धारित भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0–1667 (1) / 3–5 (भू–क्षरण की रोकथाम) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2– महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– अपर सचिव, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, मसूरी, उत्तराखण्ड को **IFMS** पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।
7– प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– मुख्य वन संरक्षक, (गढवाल) उत्तराखण्ड, पौड़ी।
9– वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड।
10–उप वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

I.T.G.C
कृ. अपलोड करें
पेशी–करें
ccf 2/10/12
10/12/2021

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)

HOD-Principal Chief Conservator of Forest(4260)

Treasury-Mussoorie(0102)

DDO-DFO Musoori Forest Division Musoori(4256)

आवंटन पत्र संख्या -Ni-1667/3-5

आवंटन आई डी-H21120270003

अनुदान संख्या-027

आवंटन पत्र दिनांक-07-DEC-2021

लेखा शीर्षक

2406-वानिकी तथा वन्य जीवन

101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण

00-g

01-Forestry

12-भू-क्षरण की रोकथाम योजना (44060110114 में स्थानान्तरित)

Voted

2	4	0	6	0	1	1	0	1	1	2	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
51-अनुरक्षण	900000	327000	0	1227000
योग	900000	327000	0	1227000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.3,27,000 (Rupees Three Lacs Twenty Seven Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2112:0003

Approval Status : APPROVED BY OFFICER